भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3276

जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

एलआईसी के पास अदावाकृत धनराशि

3276. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के पास वर्ष-वार ऐसी कुल कितनी धनराशि है, जिस पर दावा नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में पॉलिसीधारक अथवा उनके नामिति परिपक्वता लाभ, मृत्यु लाभ और अन्य भुगतान का दावा नहीं करते हैं, जिससे अदावाकृत निधियां जमा हो जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो परिपक्वता, मृत्यु अथवा अन्य लाभों का निपटान नहीं किए जाने के कारण अदावाकृत रह गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन निधियों का सही दावा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसीधारकों अथवा उनके नामितियों की पहचान करने और उनसे संपर्क करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ड.) क्या सरकार ने विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के पॉलिसीधारकों के लिए अदावाकृत धनराशि के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दावा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उपाय किए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): पिछले पांच वर्ष के दौरान एलआईसी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु और परिपक्वता के बकाया दावों के संबंध में अदावी कुल राशि निम्नानुसार है :-

साल	कुल अदावी और बकाया परिपक्वता दावे		कुल अदावी मृत्यु दावे	
	संख्या	राशि (करोड़)	संख्या	राशि (करोड़)
2023-24	3,72,282	880.93	10	0.14
2022-23	3,73,329	815.04	३१	0.81
2021-22	3,24,813	897.1	24	0.24
2020-21	3,13,117	652.95	35	0.43
2019-20	2,43,790	480.78	89	2.02

अदावी और बकाया दावों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i. दावा अनुरोध प्राप्त होने पर संबंधित पॉलिसीधारकों या दावेदारों के पक्ष में अदावी खातों में पड़ी बकाया राशि का निपटान किया जाता है। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित वरिष्ठ नागरिक कल्याण

निधि नियम, 2016 के उपबंधों और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिनांक 25.7.2017 के मास्टर परिपत्र के अनुसार, एलआईसी सहित सभी बीमाकर्ता, जिनके पास 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पॉलिसीधारकों की अदावी राशि पड़ी है, के लिए प्रत्येक वर्ष उक्त राशि को ब्याज सहित वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में अंतरित करना आवश्यक है। इसके अलावा, अदावी राशि को इस निधि में अंतरित करने के बाद भी पॉलिसीधारक या दावेदार 25 वर्ष तक की अवधि के लिए अपनी संबंधित पॉलिसियों के अंतर्गत अदावी राशि का दावा करने के पात्र बने रहते हैं।

ii. अनुस्मारक पत्र साधारण/स्पीड पोस्ट के माध्यम से तथा जहां उपलब्ध हो वहां ईमेल के माध्यम से भेजे जाते हैं और साथ ही जहां मोबाइल नंबर उपलब्ध हो, वहां एसएमएस भी भेजे जाते हैं।

iii. पॉलिसीधारकों को उनकी देय राशि का दावा करने के लिए रेडियो जिंगल्स के अलावा प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया दोनों पर विज्ञापन दिए जाते हैं।

iv. अदावी दावों से सम्बंधित आंकड़े (पॉलिसियों की सूची) और अपेक्षाओं की सूची एलआईसी की वेबसाइट (www.licindia.in) पर डाल दी गई है, जहां से पॉलिसीधारक राशि की जांच और दावा कर सकते हैं।

v. एलआईसी अधिकारी पॉलिसीधारकों की आवश्यकताओं और अदावी राशि के निपटान के लिए उनके निवास स्थान का भी दौरा करते हैं।

vi. विभिन्न शहरों में आवासीय इलाकों में पॉलिसी सेवा शिविर (अभियान) आयोजित किए जाते हैं।

vii. एनईएफटी ब्यौरे के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा एलआईसी के पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है ।

viii. पॉलिसीधारकों के सुविधा के लिए उन्हें कहीं भी एनईएफटी और दावा सबंधी अपेक्षाएं प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की जाती है।

ix. दावा निपटान प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और दावे के निपटान के लिए केवल वैध एनईएफटी की आवश्यकता है। अपेक्षाओं का अनुपालन करने और राशि का दावा करने के लिए एजेंटों और विकास अधिकारियों के माध्यम से पॉलिसीधारकों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

x. पॉलिसीधारकों का नवीनतम संपर्क विवरण प्राप्त करने के लिए क्रेडिट ब्यूरो एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है ।

xi. प्रभाग/शाखाएं विभिन्न शहरों में हाउसिंग सोसाइटियों और प्रमुख क्षेत्रों में पॉलिसी सेवा शिविर (अभियान) आयोजित करती हैं।

*****